भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

रक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 41

20 नवम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

रक्षा प्रतिष्ठान

***41. श्री गोपाल चिन्नया शेट्टी :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने रक्षा प्रतिष्ठानों के समीप स्थित पुराने घरों और भवनों के पुनर्विकास के संबंध में नवम्बर, 2016 में सभी तीनों सेनाओं को कोई परिपत्र जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय के उक्त परिपत्र का सभी तीनों सेनाओं, विशेषकर मुंबई में नौसेना द्वारा अनुपालन किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को उक्त परिपत्र का अनुपालन न किए जाने के संबंध में जन प्रतिनिधियों से शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ङ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

लोक सभा में दिनांक 20 नवम्बर 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 41 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) : जी, नहीं । रक्षा मंत्रालय ने भवन निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी करने के लिए दिशा-निर्देशों के बारे में दिनांक 21 अक्तूबर, 2016 को परिपत्र जारी किया है । इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, उन सेना स्टेशनों की पहचान की गई है जिनके लिए दिशा-निर्देशों में यथा विनिर्दिष्ट दूरी के अन्दर स्थानीय सैन्य प्राधिकरण (एलएमए) से एनओसी प्राप्त करना अपेक्षित है ।

(ग) : दिनांक 21 अक्तूबर, 2016 के परिपत्र के अंतर्गत भारतीय सेना की 342 स्थापनाओं की पहचान की गई है । वायुसेना, नौसेना की किसी स्थापना और सेना की अन्य स्थापनाओं की पहचान नहीं की गई है ।

(घ) और (ङ) : जी, हां । मंत्रालय को इस संबंध में जन प्रतिनिधियों और अन्य इच्छुक पक्षकारों की ओर से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । इन अभ्यावेदनों के आधार पर, रक्षा मंत्रालय में एनओसी संबंधी दिशा-निर्देशों के संशोधन पर सेनाओं एवं तटरक्षक के परामर्श से विचार-विमर्श किया जा रहा है । यह सुनिश्चित करने के लिए मामले को मॉनीटर किया जा रहा है कि विकास आवश्यकताओं को समायोजित करते समय रक्षा स्थापनाओं की सुरक्षा को कोई खतरा न हो ।

*****